

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला आपूर्ति शाखा), गिरिडीह।

### आरि अल्प कालीन निविदा सूचना

गिरिडीह जिला अन्तर्गत सभी प्रखंडों एवं नगर पर्वद क्षेत्र के संबंधित ग्राम /मुहल्ला के लाभुकों को निर्गत अंत्योदय कार्डों के लाभुकों के घर कि सामने " अंत्योदय अन्न योजना से लाभुक परिवार " लेखन कराया जाना है। इस हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी सील बन्द लिफाफा दिनांक 29.12.2016..को 12.00 बजे दिन में जिला आपूर्ति कार्यालय, गिरिडीह में जमा करना होगा। उसी दिन 03.00 बजे अपराहन् निविदा उपायुक्त, गिरिडीह के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा समिति के द्वारा खोला जायेगा। लेखन कराये जाने वाले शब्द " अंत्योदय अन्न योजना से लाभुक परिवार " का नमूना, निविदा प्रपत्र तकनीकी एवं वित्तीय भाग एवं प्रखंडवार निर्गत कार्डों की विवरणी [WWW.giridih.nic.in](http://WWW.giridih.nic.in) पर उपलब्ध हैं। अंत्योदय अन्न योजना के लाभुको का प्रखंडवार ग्रामवार/मुहल्लावार सूची जिला आपूर्ति कार्यालय,गिरिडीह से कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।

लेखन के पश्चात् संबंधिम प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा लेखन कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा। उक्त कार्यार्थ किसी प्रकार का अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग लिफाफा में बन्द कर पुनः एक साथ सील कर दाखिल करना होगा। निविदा पत्र के साथ निम्नांकित कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

1- मो0 50000.00 (पचास हजार)रु0 का ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक सुरक्षित जमा के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पद नाम से देना होगा जिसकी निकासी गिरिडीह में किया जा सकेगा। कार्य अधूरा छोड़ने अथवा निविदा में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर जमानत की राशि को जप्त कर लिया जायेगा। निविदा का तकनीकी भाग सही पाये जाने के उपरान्त ही वित्तीय भाग को खोला जायेगा।

2- अद्यतन आयकर विवरणी।

3-पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

4-काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र।

5-उपायुक्त के स्तर से निर्गत आवासीय एवं आचरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

6-आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

7-बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

उपायुक्त, गिरिडीह।

## निविदा प्रपत्र

उपायुक्त का कार्यालय(जिला आपूर्ति शाखा) गिरिडीह द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को निर्गत राशन कार्ड के लाभुकों के घर में मुख्य द्वार पर दिवाल लेखन संबंधी कार्य हेतु निविदा प्रपत्र।

### तकनीकी भाग-1

- 1- निविदादाता का नाम:-
- 2-पिता/पति का नाम:-
- 3-पत्राचार का पता:-
- 4-स्थायी पता:-
- 5-मो0 50000.00(पचास हजार)रु0  
ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक की मूल प्रति।
- 6-उपायुक्त के स्तर से निर्गत आवासीय एवं आचरण प्रमाण पत्र  
की अभिप्रमाणित प्रति।
- 7- आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- 8- अद्यतन आयकर विवरणी।
- 9-काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र।

निविदादाता का हस्ताक्षर

## निविदा प्रपत्र

उपायुक्त का कार्यालय(जिला आपूर्ति शाखा) गिरिडीह द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को निर्गत राशन कार्ड के लाभुकों के घर के सामने दिवाल पर लेखन संबंधी कार्य हेतु निविदा प्रपत्र।

### वित्तीय भाग-2

1-प्रति लाभुक दिवाल लेखन का दर( सभी कर सहित)

निविदादाता का हस्ताक्षर

अस्योदय अस्म


AL 2157

यजना ये जामक पारवार

21  
19/12/46

उपायुक्त का कार्यालय, (जिला आपूर्ति शाखा), गिरिडीह।

जिला : गिरिडीह		
क्रम स०	ब्लॉक का नाम	कुल अन्त्योदय परिवारो की संख्या
1	गावा	4591
2	तिसरी	4206
3	देवरी	5287
4	धनवार	7108
5	जमुआ	5294
6	बेगाबाद	4755
7	गाण्डेय	4643
8	गिरिडीह	8325
9	बिरनी	4453
10	बगोदर	4199
11	सरिया	3342
12	डुमरी	6763
13	पिरटॉड	5001
14	गिरिडीह (MN)	1043
	कुल	69,010

  
30/12/11  
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
गिरिडीह।